आज्ञा से
रीडर

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकरान हाजीर। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी/P.O. महोदय [illegible] पधारे पत्रावली [illegible] दिनांक 31-12-20 को पेश हो।

21-10-20

आज्ञा से
रीडर

31.12.20 — पत्रा. पेश। वकील उभयपक्ष उप.। मी. वास्ते बहस दिनांक 25/1/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

25.1.21 — पत्रा. पेश। वकील उभयपक्ष उप.। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मी. वास्ते आदेश दिनांक 1.2.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

1.2.21 — पत्रा. पेश। वकील उभयपक्ष उप.। आदेशाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मनन किया। [illegible] किया गया कि दावा धारा [illegible] डिक्री / स्वीकार [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.03.03 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
इस हुक्म
में जारी हु

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 78/2018

उनवान

1. नन्दा पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
2. वागजी पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
3. मोहन पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
4. पन्नालाल पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
5. बापुलाल पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
6. रमेश पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़।
7. कंचन बैवा काना जाति निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़। **—वादीगण**

बनाम

1. धरना पिता खाना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
2. राधेश्याम पिता धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
3. गणेश पिता धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
4. थावरी पत्नि धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
5. दिता पिता खाना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
6. रामचन्द्र पिता दिता, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
7. गंगा पिता गणेश, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
8. पुरिया पत्नि दिता, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़ **—प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,
209 आर. टी. एक्ट.

निर्णय

दिनांकः—01.02.2021

उपस्थितिः— 1. श्री सीताराम भगोरा—वादी अधिवक्ता
2. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान—प्रतिवादी अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.03.03 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत [illegible] वादीगणों के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेदारी मौजा ग्राम बड़ी अम्बेली पटवार हल्का रतनपुरिया, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में स्थित हैं जिसका सम्वत 2071—74 में खाता संख्या 62 नया, 59 पुराना खसरा नम्बर 173, 174, 192, 254, 551, 552, 563, 635, 640 रकबा कमशः 0.10, 0.64, 0.71, 0.41, 0.03, 0.35, 0.48, 1.10 0.16 हैक्टेयर कुल किता—9 रकबा 3.98 हैक्टेयर हैं। वादीगण का बाप दादाओं के समय से उक्त भूमि पर कब्जा बना हुआ हैं तथा समय समय पर राज्य सरकार में लगान जमा करवाते हैं तथा फसल बोते व लेते आ रहे हैं। खसरा नम्बर 174 रकबा 0.64 हैक्टेयर वादीगणों की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण दिनांक 18.04.2018 की सुबह 10

नेघा के साथ गाली गलोच करने लगे और डराने धमकाने लगे और साथ में प्रतिवादीगण मिलकर हमारी बागड़ तोड़ने लगे व वादी को धमकी दी की उक्त खेत को खाली कर वरना सारी सब्जीयां पशुओं को खिला देंगे और तु यहां पर वापस नजर आया तो अपनी जान गवा देगा। एक साल पूर्व भी प्रतिवादीगण हमसलाह होकर जेसीबी मशीन लेकर आये तथा उक्त विवादित भूमि के उत्तर दिश में नाली हैं जिससे लगता हुआ उक्त विवादित हम वादीगणों की भूमि हैं जो प्रतिवादीगण कुआं नाली व उनकी भूमि छोड़ हमारी भूमि खसरा नम्बर 174 में कुआं खोदने लगे जिस पर हम वादीगणों ने कुआं खोदने से रोका तो धमकी देने लगे की हम इस जमीन पर जबरन कब्जा करेगे। इस कारण वादीगण को यह प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ा ताकि प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी में कब्जा करने से रोका जा सकें। आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने से प्रायमाफेसी केस वादीगण के पक्ष में हैं तथा वर्णित आराजी खुर्दबुर्द हो जाने से अपूर्णिय क्षति होगी। अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण को कब्जा करने से रोका जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादपत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कों जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में कहा कि प्रतिवादीगणों ने वादी की खातेदारी कृषि भूमि में कोई कब्जा नहीं किया हैं।

दिनांक 25.01.2021 को अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–::आदेश::–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बड़ी अम्बेली पटवार हल्का रतनपुरिया, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ की [illegible] 2, 254, 551, 552, 563, 635, 640 रकबा क्रमशः 0.10, 0.64, 0.71, 0.41, 0.0[illegible] .35, [illegible]48, 1.10 0.16 हैक्टेयर कुल किता–9 रकबा 3.98 हैक्टेयर भूमि के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी की उक्त आराजी में [illegible] करे। डिकी पर्चा कायम करें, पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.03.03 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

दिनेश चन्द धाकड
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 78/2018

उनवान

1. नन्दा पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
2. धनाजी पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
3. मोहन पिता मेघा जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
4. पन्नालाल पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
5. बापुलाल पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
6. रमेश पिता काना जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़।
7. कंचन बैवा काना जाति निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़। **—वादीगण**

बनाम

1. धरना पिता खाना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
2. राधेश्याम पिता धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
3. नगेश पिता धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
4. धापरी पत्नि धरना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
5. दिता पिता खाना, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
6. रामचन्द्र पिता दिता, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
7. गंगा पिता गणेश, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़
8. पुरिया पत्नि दिता, जाति मीणा निवासी बड़ी अम्बेली, तहसील—पीपलखूँट, जिला—प्रतापगढ़ **—प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सीताराम भगोरा एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह चौहान की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 01.02.2021 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि:—

दावा वादी न्यायालय में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बड़ी अम्बेली पटवार हल्का रतनपुरिया, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 173, 174, 192, 254, 551, 552, 563, 635, 640 रकबा क्रमशः 0.10, 0.64, 0.71, 0.41, 0.03, 0.35, 0.48, 1.10 0.16 हैक्टेयर कुल किता—9 रकबा 3.98 हैक्टेयर भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्यादि एवं खुर्द बुर्द दखल अन्दाजी नही करे न अन्य से करावें।

इसके वाद के खर्चे लेखे—xxx-रूपये की राशि आदेश की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर—xxx- प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित—xxx- द्वारा को दी जावें।

यह डिकी आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.03.03 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Chand Dhaker
Date: 2021.03.03 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested